



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042026-271944
CG-DL-E-21042026-271944

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1903]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948

No. 1903]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2026

का.आ. 1974(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130D के कि.मी. 70.000 से कि.मी. 112.500 तक के पेव्ड शोल्डर के साथ चार- लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-130D के कि.मी. 70.000 से कि.मी. 112.500 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी ओरछा, जिला-नारायणपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH130D के कि.मी 70 से कि.मी 112.5 तक	छत्तीसगढ़	नारायणपुर	कोहकामेटा	1 कस्तुरमेटा 2 ओकपाड़ 3 मोहन्दी 4 कोडलियर 5 कुतुल 6 पदमकोट 7 नेलांगूर

[फा. सं. RW/RO/CG/NH-130D/LA/3a]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2026

S.O. 1974(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km 70.000 to Km 112.500 (NH-130D) in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

Acquisition of Land in respect of NH-130D in the State of Chhattisgarh of on the stretch from Km 70.000 to Km 112.500 for Wdening of Road.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Sub Div. Officer (R)Orchha,Dist-NPR	NH130D KM 70 TO KM 112.5	CHHATTISGARH	NARAYANPUR	Kohkameta	1 Kasturmeta 2 Okpad 3 Mohandi 4 Kodliar 5 Kutul 6 Padamkot 7 Nelangur

[F. No. RW/RO/CG/NH-130D/LA/3a]

SHAIKH AMINKHAN, Director